



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34

पटना, बुधवार,

4 भाद्र 1948 (श0)

26 अगस्त 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-10
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	11-15
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2026

सं० 1/ए०-1-102/2015-647—माननीय उच्च न्यायालय, पटना अंतर्गत दायर एम०जे०सी० सं०-1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं एम०जे०सी० सं०-1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-06, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा विज्ञापन सं०-02/2017 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल-02 (दो) उम्मीदवारों को विभागीय अधिसूचना सं०-653-सह-पठित ज्ञापांक-654, दिनांक-10.09.2025 द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतन लेवल-09 (वेतनमान- 53100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया। नियुक्ति आदेश के आलोक में कुल-01 (एक) सहायक अभियंता (असैनिक) द्वारा विभाग में योगदान किया गया। शेष निम्नलिखित 01 (एक) सहायक अभियंता (असैनिक) के द्वारा विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक/ मेघा क्रमांक	सहायक अभियंता (असैनिक) का नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4
1	201414/ 2200	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार, आस्था सदन, गढ़पर, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, पिन-803101

2. विभागीय पत्रांक-715, दिनांक-04.10.2025 द्वारा नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को दिनांक-06.10.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित प्रशिक्षण में दिनांक-05.10.2025 के अपराह्न में बिपार्ड, गया जी परिसर में योगदान देने का निदेश दिया गया।

3. श्रीमती कुमारी प्रतिभा के अभ्यावेदन दिनांक-14.10.2025 द्वारा सूचित किया गया कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से वर्तमान समय में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो पाई है एवं उनके द्वारा तीन महीने का विस्तार प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-764, दिनांक-11.11.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी प्रतिभा को उनके अभ्यावेदन के आलोक में योगदान हेतु अधिकतम एक माह का समय दिया गया। परंतु उनके द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया है न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित की गयी है। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-100, दिनांक-17.02.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी प्रतिभा को दिनांक-11.03.2026 तक विभाग में अपना योगदान देने का निदेश दिया गया। परंतु उनके द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया है न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित की गयी है।

5. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-204, दिनांक-10.04.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी प्रतिभा को दिनांक-30.04.2026 तक विभाग में अपना योगदान देने का निदेश दिया गया। साथ ही दिनांक-14.04.2026 को प्रकाशित प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया गया कि दिनांक-30.04.2026 तक विभाग में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। तदोपरांत भी श्रीमती कुमारी प्रतिभा द्वारा विभाग में न तो योगदान किया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तहत योगदान समर्पित करने हेतु बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद भी श्रीमती कुमारी प्रतिभा ने निर्धारित तिथि तक अपना योगदान समर्पित नहीं किया।

6. अतः सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना के उपरांत विभाग में योगदान नहीं करने वाले उक्त 01 (एक) नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) यथा-श्रीमती कुमारी प्रतिभा, अनुक्रमांक-201414 की नियुक्ति संबंधी दावा/अभ्यर्थित्व को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निरस्त/रद्द किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार, अपर सचिव।

गृह (आरक्षी शाखा) विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2026

सं० 1/पी०1-01/2025 गृ०आ०-10144—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री अनिल कुमार, भा०पु०से० (2010)	पुलिस उप-महानिरीक्षक वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ, बिहार, पटना	पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य निषेध एवं ए०एन०टी०एफ०, बिहार, पटना
2.	श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी, भा०पु०से० (2010)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना	पुलिस उप-महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना
3.	श्री राजीव रंजन-2, भा०पु०से० (2012)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना	पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना
4.	श्री अजय कुमार पाण्डेय, भा०पु०से० (2012)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य निषेध एवं ए०एन०टी०एफ०, बिहार, पटना	पुलिस उप-महानिरीक्षक वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ, बिहार, पटना
5.	श्री आमीर जावेद, भा०पु०से० (2012)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, (कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
6.	श्री मिथिलेश कुमार, भा०पु०से० (2012)	पुलिस अधीक्षक, ई०आर०एस०एस०, बिहार, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर
7.	श्री सुशील कुमार, भा०पु०से० (2012)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, विधिक मामले एवं नियम, बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना
8.	श्री हृदय कान्त, भा०पु०से० (2015),	पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, नालंदा
9.	श्री राजेश कुमार, भा०पु०से० (2016)	पुलिस अधीक्षक, साईबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, ए०एन०टी०एफ०, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना
10.	श्री मनीष कुमार, भा०पु०से० (2017)	पुलिस अधीक्षक(बी०), विशेष शाखा, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना
11.	श्री विनीत कुमार, भा०पु०से० (2017)	वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण	पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना
12.	श्री पूरन कुमार झा, भा०पु०से० (2018)	पुलिस अधीक्षक, सिवान	पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
13.	श्री रामानंद कुमार कौशल, भा०पु०से० (2018)	पुलिस अधीक्षक (सी०), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना
14.	श्री रौशन कुमार, भा०पु०से० (2019)	पुलिस अधीक्षक, रोहतास	वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण
15.	श्री अवधेश दीक्षित, भा०पु०से० (2019)	पुलिस अधीक्षक (कार्मिक-1), बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर
16.	श्री भारत सोनी,	पुलिस अधीक्षक, नालंदा	पुलिस अधीक्षक, सिवान

	भा0पु0से0 (2019)		
17.	श्री मिस्टर राज, भा0पु0से0 (2019)	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर	पुलिस अधीक्षक, रोहतास
18.	सुश्री गरिमा, भा0पु0से0 (2022)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर	पुलिस अधीक्षक, (कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश कुमार, अवर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2026

सं० सं० ई2-2-29/2026-52—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अधीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक-06 दिनांक 20.07.2026 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान लेवल-9 (₹53,100-₹1,67,800/-) में औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-8 में अंकित कार्यालय में निम्नांकित शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	अनुशंसित कोटि	गृह जिला	जन्म तिथि	स्थायी पता	पदस्थापन कार्यालय	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मो० अफगान अली, 370	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	अनारक्षित (01)	गयाजी	04.03.1998	पिता-श्री मो० शमीमउद्दीन, पता-ग्राम-बंडी, पो०-मनियारा, थाना-निमचक बथानी, जिला-गयाजी, पिन-823311, मोबाईल नं०-8130078338, ई-मेल- afganalimd@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, सासाराम	
2	श्री देवेन्द्र प्रसाद, 378	पिछड़ा वर्ग (05)	अनारक्षित (01)	मधुबनी	27.10.1997	पिता- श्री महेश्वर भिन्डवार, पता-वार्ड-06, ग्राम+पोस्ट-सुग्गापट्टी, थाना-फुलपरास, जिला-मधुबनी, पिन-847409, मोबाईल नं०-9135302787, ई-मेल- dev2k48@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, वीरपुर (सुपौल)	
3	सुश्री अनिता कुमारी, 437	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़ा वर्ग (05)	गोपालगंज	15.12.1996	पिता- श्री धुरेन्द्र पटेल, पता- ग्राम+पोस्ट-मतेयाँ खास, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, पिन-841501, मोबाईल नं०-9546191716, ई-मेल- anitakumarip9546@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, छपरा (सारण)	
4	सुश्री स्नेहा कुमारी, 467	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़ा वर्ग (05)	पूर्वी चम्पारण	30.07.1999	पिता- श्री रवि प्रसाद गुप्ता, पता- ग्राम/मोहल्ला-ठाकुरवाडी, बनियापट्टी, मोतिहारी, पोस्ट-मोतिहारी थाना-टाउन पुलिस थाना, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन-845401, मोबाईल नं०-8102800269, ई-मेल- sneha30071999@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी (पटना)	

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	अनुशंसित कोटि	गृह जिला	जन्म तिथि	स्थायी पता	पदस्थापन कार्यालय	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	श्रीमती रेणुका झा, 502	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	मुंगेर	18.01.1993	पिता- श्री मथुरा नाथ झा, C/o- श्री विमल कुमार मिश्रा, पता- ग्राम/ मोहल्ला-सुभाष नगर, गुमटी नं०-3, पोस्ट-मुंगेर, थाना-कोतवाली थाना, जिला-मुंगेर, पिन-811201, मोबाईल नं०-9711620894, ई-मेल- renukajha5@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, कहलगाँव (भागलपुर)	
6	श्री विश्वजीत कुमार, 512	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़ा वर्ग (05)	सारण	04.06.1997	पिता- श्री सुधांशु महाराज, पता- ग्राम/ मोहल्ला-खवासपुर (काला), पोस्ट+थाना-डोरीगंज, जिला-सारण, पिन-841211, मोबाईल नं०-8789183423, ई-मेल- vishwajeet4697@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, डुमरांव (बक्सर)	
7	श्री रतन राज, 522	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़ा वर्ग (05)	सारण	01.02.1999	पिता- श्री विश्वनाथ सिंह, पता- ग्राम/ मोहल्ला-लाल कोठी, गरखा रोड, गाँधी चौक, पोस्ट-छपरा, थाना-नगर थाना, जिला-सारण, पिन-841301, मोबाईल नं०-9123244061, ई-मेल- ratanrajsingh27@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, अरवल	
8	श्री रितिक कुमार, 2337	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जाति (02)	भागलपुर	19.05.2000	पिता- श्री कुमोद कुमार मंडल, पता- ग्राम/ मोहल्ला-बिशाल, पोस्ट-बरमसिया, थाना-इशीपुर बाराहाट, जिला-भागलपुर, पिन-813209, मोबाईल नं०-7070954046, ई-मेल- ritikhndsme@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)	
9	सुश्री अनु दिनकर, 2417	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जाति (02)	नवादा	03.09.1993	पिता- श्री दिनकर दयाल, पता- ग्राम/ मोहल्ला-पटेल नगर, पोस्ट+थाना-नवादा, जिला-नवादा, पिन-805110, मोबाईल नं०-7061613479, ई-मेल- anudinkarnwd@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, औरंगाबाद	
10	श्री राजा कुमार पासी, 2925	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जाति (02)	समस्तीपुर	18.09.1997	पिता- श्री सुरेश पासी, पता- ग्राम +पोस्ट- मसीना, थाना-खानपुर, जिला-समस्तीपुर, पिन-848117, मोबाईल नं०-6205000482, ई-मेल- rajq779@gmail.com	अनुमंडल कार्यालय, जयनगर (मधुबनी)	

2. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की सेवा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
4. वैसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान/निजी संस्थान में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान करने के समय वर्तमान नियोक्ता का विरमन पत्र समर्पित किये जाने की स्थिति में ही उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।
5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. योगदान के समय अभ्यर्थियों को शराब का सेवन नहीं करने, साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करना आवश्यक होगा।
8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 के अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा।
10. अभिप्राणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। योगदान के समय अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. नवनियुक्त पदाधिकारी को पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से समर्पित करना होगा।
12. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित करते हुए बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना द्वारा आयोजित अनिवार्य प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के लिए विभाग में कार्यभारित किया जाता है। साथ ही उक्त प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बिपार्ड, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।
13. प्रशिक्षण अवधि में सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से किया जायेगा।
14. प्रशिक्षणोपरांत सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) अपने-अपने पदस्थापन कार्यालय में प्रभार/योगदान ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त 2026

विषय:- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु "परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति" के गठन के संबंध में।

सं० 21/आयोग-11/2026-15441 सा.प्र.—1. परीक्षाओं का आयोजन परीक्षार्थियों की क्षमता का आकलन करने, पात्रता निर्धारित करने, उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लिये उम्मीदवारों का चयन करने के साथ-साथ शिक्षा एवं भर्ती प्रणाली में सर्वजन का विश्वास बनाये रखने के लिये सबसे महत्वपूर्ण साधन में एक है।

2. हाल के वर्षों में उम्मीदवारों की अधिकता, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार, सार्वजनिक रोजगार के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के आगमन, छात्रों एवं अभिभावकों की आकांक्षा, अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के कारण परीक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र (Ecological System) बहुत जटिल हो गया है।

3. राज्य सरकार ने शैक्षणिक और भर्ती के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। इस संदर्भ में परीक्षा के पूरे चक्र यथा-पंजीकरण, प्रश्न पत्र तैयारी, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, परिणाम, शिकायत निवारण एवं अभिलेखों के रख-रखाव इत्यादि में सुधार हेतु एक व्यापक परीक्षा सुधार की आवश्यकता है।

अतएव सरकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और ऐसी परीक्षा प्रणाली स्थापित करने हेतु सुधारों की सिफारिश करने हेतु "परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति" का गठन करती है, जो निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी-सक्षम, समयबद्ध, योग्यता उन्मुख, सुलभ और विश्वसनीय हो।

4. समिति का उद्देश्य:- समिति का उद्देश्य होगा—

- (क) राज्य और उसकी परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना।
- (ख) प्रश्न-पत्र लीक, छद्म परीक्षार्थी, चोरी और सामूहिक नकल, परीक्षा केन्द्रों में हेरा-फेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, परीक्षा डेटा पर अनाधिकृत पहुँच, परिणाम में हेरा-फेरी और परीक्षा कदाचार को समाप्त करना।
- (ग) परीक्षा का समयबद्ध संचालन और परिणामों की स-समय घोषणा, साथ ही परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना।
- (घ) मानवीय पर्यवेक्षण और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी, डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा उपकरणों का उचित उपयोग करना।
- (ङ) स्वतंत्र गुणवत्ता, पूर्ण आश्वासन और परीक्षाओं के ऑडिट की प्रणाली विकसित करना।
- (च) यह भी सुनिश्चित करना कि परीक्षा सुधारों से ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से वंचित या डिजिटल रूप से कम जुड़े हुए पृष्ठभूमि के छात्रों का नुकसान न हो।

5. समिति का कार्य क्षेत्र :- समिति आवश्यकतानुसार बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की निम्न श्रेणी की जाँच कर अनुशंसा कर सकती है:-

- क- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाएँ।
- ख- विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ।
- ग- व्यावसायिक एवं तकनीकी परीक्षाएँ।
- घ- प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाएँ।
- ङ- भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाएँ।

हालांकि समिति संवैधानिक/वैधानिक परीक्षा और भर्ती निकायों की वैधानिक स्वायत्तता का सम्मान करेगी और समन्वय और साझा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिये उपरोक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करेगी।

6. विशिष्ट विचारणीय विषय (Specific term of reference) :-

समिति निम्न बिन्दुओं की जाँच करेगी और सिफारिश करेगी:-

(क)- परीक्षा प्रशासन-

- (i) बिहार में परीक्षाओं को संचालन करने वाले मौजूदा संस्थागत ढांचा एवं आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा करना।
- (ii) परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों, विभागों, जिला प्रशासन और परीक्षा केन्द्रों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा करना।
- (iii) परीक्षा तंत्र परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विफलता के लिये जवाबदेही तय करने हेतु तंत्र की सिफारिश करना।

(ख) परीक्षा कैलेंडर और समयबद्धता :-

यह समिति से परीक्षाओं, मूल्यांकन, परिणामों की घोषणा में देरी की कारणों की समीक्षा करेगी और जहाँ तक सम्भव हो एक राज्य परीक्षा कैलेंडर की सिफारिश करेगी, जिसमें विज्ञापन, आवेदन, प्रवेश-पत्र निर्गम, परीक्षा, प्रोविजनल उत्तर पंजी का प्रकाशन, आपत्ति दर्ज करने, अंतिम उत्तर पंजी कुंजी का प्रकाशन, मूल्यांकन, परिणाम का प्रकाशन, जाँच/पैनल मूल्यांकन एवं अनुशंसा प्रेषण के लिये अधिकतम समय-सीमा निर्धारित करेगी।

(ग) प्रश्न-पत्रों में सुधार :- यह समिति प्रश्न-पत्र के निर्माण की व्यापक समीक्षा करेगी और बहु-स्तरीय प्रश्न-पत्र सेटिंग, मोडरेसन, प्रशिक्षित और सूचीबद्ध पेपर सेटर का उपयोग, कठिनाई स्तर का मानकीकरण आदि पर भी एक विस्तृत प्रणाली की अनुशंसा करेगी।

(घ) परीक्षा सुरक्षा एवं पेपर लीक की रोकथाम :- यह समिति पूरी परीक्षा का एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट करेगी, जिसमें प्रश्न-पत्र सेटिंग, सुरक्षित भंडारण, परिवहन, वितरण, डिजिटल ट्रांसमिशन और पहुँच नियंत्रण (access control) भी शामिल होंगे। परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा, उम्मीदवारों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन, सी.सी.टी.वी. निगरानी, वीक्षक, उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन, परिवहन, सुरक्षित भंडारण, स्कैनिंग/डिजिटलकरण, मूल्यांकन और परिणाम प्रोसेसिंग आदि का भी पूर्ण ऑडिट करेगी और इन बिन्दुओं पर ऐसी अनुशंसा करेगी जो सुरक्षित और पेपर लीक तथा छद्मनामी परीक्षा इत्यादि रहित हो।

समिति परीक्षा सामग्रियों के इंड-टू-इंड डिजिटल ट्रैकिंग, छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग, इंटिक्रेप्ट ट्रांसमिशन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैकिंग और जियो-फेंसिंग, साइबर सुरक्षा ऑडिट, सी.सी.टी.वी. और सुरक्षित कमान्ड सेंटर की व्यवहार्यता की भी जाँच कर अनुशंसा करेगी।

प्रश्न-पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के लिये एक स्पष्ट chain of custody protocol की अनुशंसा करेगी।

(ड.) समिति कानूनी और नियामक ढांचा में आवश्यक परिवर्तन हेतु मौजूदा अधिनियमों, नियमों, विनियमों, परीक्षा उप-नियम, संस्थागत नियम, गोपनीय प्रावधान, कदाचार से संबंधित प्रावधान, डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा आवश्यकता इत्यादि का अध्ययन करते हुए इसमें आवश्यक संशोधन हेतु अनुशंसा करेगी।

7. समिति की संरचना:-

राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश/ माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश/माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 05 (पाँच) सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष के मनोनयन हेतु आवश्यकतानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक अनुरोध किया जाएगा।

8. अवधि :-

उक्त समिति अपनी गठन की तिथि से तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को समर्पित करेगी।

9. समिति की प्रक्रिया :-

समिति अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार आयोगों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, जिला प्रशासन, राज्य भर्ती एजेंसियों, विषय विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों, प्रौद्योगिकीविदों एवं अन्य लोगों से परामर्श कर सकती है।

उक्त समिति में किये गये सभी परामर्श एवं पत्राचार गोपनीय रखे जाएंगे।

10. समिति की संस्थागत व्यवस्था:-

- (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समिति को सचिवालय, लॉजिस्टिक, तकनीकी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- (ख) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय के रूप में उनके सेवानिवृत्त के पूर्व भुगतान की गयी वेतन एवं महंगाई भत्ता की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- (ग) समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के लिये TA / DA की पात्रता वही होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान/ग्रेड पे में, यात्रा नियमावली में प्रावधानित है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो. सोहैल, सचिव।

सं० कारा/नि०को०(प्रो०)-12-01/2026-8060

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

19 अगस्त 2026

श्री रजनीश कुमार राय, बिहार प्रोबेशन सेवा, तत्कालीन प्रभारी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम (रोहतास) सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णियाँ के द्वारा जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम (रोहतास) में अपना प्रभार सौंपने के उपरान्त अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रजनीश कुमार राय, बिहार प्रोबेशन सेवा, तत्कालीन प्रभारी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम (रोहतास) सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णियाँ के विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, सासाराम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2026

सं० बी०एम०डी०सी०-35/06(खण्ड-II)-5550/एम०-Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. (बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) के निदेशक पर्षद् (Board of Directors) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है:-

1. श्री अवनीश कुमार सिंह, भा०प्र०से० — अध्यक्ष
सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।
2. श्री अवनीश कुमार सिंह, भा०प्र०से० — प्रबंध निदेशक
सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।
3. श्री आलोक कुमार, भा०व०से० — सरकारी सदस्य
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।
4. श्री राजीव रौशन, भा०प्र०से० — सरकारी सदस्य
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग,
बिहार, पटना।
5. श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा०प्र०से० — सरकारी सदस्य
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।

2. भविष्य में किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण के पश्चात् उस पद पर जो पदाधिकारी पदस्थापित होंगे, उन्हें माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के अनुमोदनोपरांत निदेशक पर्षद् में शामिल किया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें विलोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

योजना एवं विकास विभाग

प्रभार-प्रतिवेदन

13 अगस्त 2026

सं० 488—अधोहस्ताक्षरी, मैं सी० के० अनिल, भा०प्र०से०, (बी०एच० 1991), परामर्शी बिहार राज्य योजना पर्षद्, बिहार, पटना, के पद पर दिनांक 12.08.2026 के पूर्वाह्न में स्वतः प्रभार ग्रहण करता हूँ।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी०-1002/2021-सा०प्र०-14576 दिनांक 11.08.2026 द्रष्टव्य)

(सी० के० अनिल)
भारग्राही पदाधिकारी।

विधि विभाग

अधिसूचना

08 जुलाई 2026

सं० सं० ए०/वि०आ०-०१/२०२५/५३५१/जे०--श्री विनोद कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना को पुत्री से मुलाकात करने हेतु दिनांक-२१.०७.२०२६ से दिनांक-२७.०८.२०२६ तक विदेश (अमेरिका) यात्रा करने एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। उनके विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् उनके द्वारा उक्त अवधि में उपभोग की जाने वाली उपार्जित एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश के संबंध में अनुमान्यता पर विचार कर अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, २३—५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 882--I, **SHAHIN ALI**, W/o – Ayub khan, R/o – Vill – Beladih, Bodh Gaya, P.O. - Cherki, Dist. – Gaya, Bihar - 824237. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (MD ARSHAD AYUB) educational document of class 10th (CBSE) as well as in 12th (BSEB) my name is mentioned as SHAHIN ALI KHAN. But, in my Aadhar as well as in my voter ID card my name is mentioned as SHAHIN ALI. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **SHAHIN ALI** for all my legal purposes. Affidavit no. – 3199 , Date: - 02/06/2026

SHAHIN ALI.

No. 883--I, **AYUB KHAN**, S/o – Late Badruzzaman Khan, R/o – Vill – Beladih, Bodh Gaya, P.O. - Cherki, Dist. – Gaya, Bihar - 824237. Do hereby solemnly affirm and that in my son's (MD ARSHAD AYUB) educational document of class 10th (CBSE) as well as in 12th (BSEB) my name is mentioned as MD AYUB. Even, in his Aadhar as well as in his PAN card my name is mentioned as AYUB KHAN. Also, in my Aadhar as well as in my PAN card my name is mentioned as AYUB KHAN. Here, both the names MD AYUB and AYUB KHAN. belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **AYUB KHAN** for all my legal purposes. Affidavit no. – 3197, Date: - 02/06/2026

AYUB KHAN.

No. 884--I, Renuka W/o Anil Kumar R/o 294, Nehru Nagar, Van Vibhag Phulwari, Distt.- Patna-800013 Bihar do hereby declare as per aff.No. 4277 dt. 14.07.26 that my name is mentioned in any daughter Anjali Kumari's C.B.S.E 10th certificate as Renuka Devi. Which is wrong In Aadhar card mentioned as Renuka. From now I shall be known as Renuka for all purposes.

Renuka.

No. 885—I, Saba Naz D/o Irshad Ahmad R/o Isanagar, Naya Tola, Phulwari Sharif, Patna, Bihar-801505 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3446, dt. 08.10.2025 that my name is written in CBSE Class 10th all educational documents as Sabanaz in Aadhar Card my name is written as Saba Naz. Both names are same and one person. From now I will be known as Saba Naz for all purposes.

Saba Naz.

No. 886—I, **ANKIT KUMAR**, S/o –Binay Kumar Mehta, R/o –Sarla Villa, Chak Bairiya Road, Opposite Indane Gas Godown, Premnagar, Biriya, P.O. – Bairiya, Dist. – Patna, Bihar - 800007. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (**VEDANGI**) birth certificate as well as in her Aadhar card and in her school her name is mentioned as **VEDANGI**. Now, I want to add a title '**SINGH**' to her name. Hence, in this way her name becomes **VEDANGI SINGH**. Here, both the names belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as **VEDANGI SINGH** for all her legal purposes. Affidavit no. – 3269, Date: - 04/06/2026.

ANKIT KUMAR.

No. 887--I, PUJA Baby W/o Indrajeet Paswan R/o Vill- Ishua, PS-Sarmera, Sasaurh, Dist-Nalanda declare that vide affidavit no. 1770 dtd 10.07.26 in my daughter Anmol Bharti class 10th all documents (CBSE Board, Year 2025) my name wrongly mentioned Puja Devi. My correct name is Puja Baby

PUJA Baby.

No. 888--I, Anirudh Prasad S/o Rambabu Prasad R/o Vill+P.O-Mirpur, P.S.-Chiraiya, Distt-East Champaran, Bihar, Pin 845415 have changed my daughter's name from Archana Kumari (Wrong name in Aadhar Card) to AaroHi Kumari (correct name as per educational certificates) vide affidavit dated 27.06.2026 and affidavit no. 12830. In future she shall be known and recognized by the name of AaroHi Kumari only.

Anirudh Prasad.

No. 889--I, Kusum Kumari, wife of Akhilesh Kumar, resident of Fulwan Bigha, Karpi, P.O. – Karpi, District – Arwal, do hereby declare that my name has been incorrectly mentioned as Kusum Devi in my son's Class 12th marksheet. My correct name is Kusum Kumari as per my Aadhaar Card and Affidavit No. 3697/26 dated 17/02/2026. Henceforth, I shall be known as Kusum Kumari for all purposes.

Kusum Kumari.

No. 890--I, MANYA MISHRA W/o - Shuvam Giri, R/o - gwal toli, in front of kali mandir, Kumhrar, Sampatchak, Patna, Bihar - 800026. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational certificates as well as in my Aadhar card my name is mentioned as MANYA MISHRA. Now, I want to change my title from MISHRA to GIRI. Hence, in this way my name became MANYA GIRI. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **MANYA GIRI** for all legal purposes. Affidavit no. – 1162, Date: - 21/02/2026

MANYA MISHRA.

No. 891--I, RAJNANDNI KUMARI, D/o. - Umesh Paswan, R/o - Vill - Ukaura, P.O. - Chorwar, P.S. - Pakribarwan, Dist. - Nawada, Bihar - 805124. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational document of class 10th (BSEB), my name is mentioned as RAJNANDNI KUMARI. But, in my Aadhar card my name is mentioned as RAJ NANDANI KUMARI. Here, both the names RAJNANDNI KUMARI and RAJ NANDANI KUMARI belong to the same person. And, from now in my future I will be known as **RAJNANDNI KUMARI** for all my legal purposes. **Affidavit no. – 2643, Date: - 09/05/2026.**

RAJNANDNI KUMARI.

No. 892--I, Swati Nande, D/O Late Raj Kumar Nande, Resident of Balughat, Road No 1, PO- HPO, P.S.- Town, District-Muzaffarpur 842001, Bihar, Hereby declare that my name is Swati Nande in my educational certificates, whereas my name is recorded as Swati Kapoor in my Aadhar Card, Voter ID Card and PAN Card. Both the names, Swati Nande and Swati Kapoor, belongs to one and the same person. Henceforth, I shall be known by Swati Kapoor for all purpose. Affid. 04/40, Dt. 18.05.2026

Swati Nande.

No. 893--I, Khush Nandan Bhagat S/o Kailash Bhagat R/o village-Madhuban, P.O.-Koila Belwa, P.S.-Chakai, Distt.-East Champaran, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1415 dt. 14.03.26 that my name is written in Pan card, Voter Id and Educational document as Khush Nandan Bhagat. In Aadhar card written as Khush Nandan Prasad. Both names are same and one person. From now I will be known as Khush Nandan Bhagat for all purposes.

Khush Nandan Bhagat.

No. 894--I, Abdul Ghani Khan S/o Md. Hanif Khan, R/o Barnpura, Ward No. 14, P.O.-Khaira, Distt.- Saran (Bihar) 841414 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 25 dt.-11.09.25 that my name is mistakenly written in my daughter Nazia Rumana's 10th all educational certificate as Md. Abdul Gani as per Aadhar card my name is Abdul Ghani Khan. From now I shall be known as Abdul Ghani Khan for all purposes.

Abdul Ghani Khan.

No. 895--I, Khurshida Perveen W/o Abdul Ghani Khan R/o Barnpura, Ward No.-14, P.O.-Khaira, Distt.-Saran (Bihar) 841414 do hereby solemnly affirm and declare as per aff, no. 26, dt. 11.09.2025 that my name is mistakenly mentioned in my daughter Nazia Rumana's 10th all educational certificate as Khursidha Parveen. As per Aadhar Card my name is Khurshida Perveen. From now I shall be known as Khurshida Perveen for all purposes.

Khurshida Perveen.

No. 896--I, Ahmad Raja S/o Isha Khan R/o ward No.-07, Ratan, Post-Ratan, P.S.-Gogri Distt.-Khagaria Bihar-851203 do hereby declare that my daughter hitherto known as Sadaftar Annu. In Birth certificate and Aadhar card written as Sadaf Tarnuum. Both names are same and one person. From now she shall be known as Sadaf Tarnnum for all purposes. Affidavit no 3114 dt.15.06.2026.

Ahmad Raja.

No. 897--I, Ramesh Ray, S/o Sukeshwar Ray, Vill.-Kasina, P.O.+P.S.-Garkha, Distt.-Saran, Bihar do hereby declare as per aff. No.-4487 dt. 22.07.26 that my son's name has been mentioned in his Aadhar Card as Shni Kumar which is wrong. In educational documents mentioned as Shani Kumar. Both names are same and one person. From now he will be known as Shani Kumar for all purposes.

Ramesh Ray.

No. 903--I, JITENDRA KUMAR, S/o BIPIN BIHARI CHOUDHARY, residing at Karnalganj, Gaighat, Patna, Bihar – 800007, parent and natural guardian of my minor daughter, do hereby declare that I have changed her name from AKSHIKA to AKSHIKA CHOUDHARY for all future intents and purposes vide Affidavit No. 1236 dated 01.08.2026 executed before the Notary Public at Civil Court, Patna City. Henceforth, my minor daughter shall be known, called, and addressed as AKSHIKA CHOUDHARY.

JITENDRA KUMAR.

No. 904--I, JITENDRA KUMAR, S/o BIPIN BIHARI CHOUDHARY, residing at Karnalganj, Gaighat, Patna, Bihar – 800007, parent and natural guardian of my minor daughter, do hereby declare that I have changed her name from AKSHARA to AKSHARA CHOUDHARY for all future intents and purposes vide Affidavit No. 1240 dated 01.08.2026 executed before the Notary Public at Civil Court, Patna City. Henceforth, my minor daughter shall be known, called, and addressed as AKSHARA CHOUDHARY.

JITENDRA KUMAR.

सं० 905—मैं, हिमांशु कुमार, पिता-स्व० लक्ष्मी शंकर प्रसाद, पता-आलमगंज, गोसाईं घाट लेन, गुलज़ारबाग, पटना-800007, मेरा आधार कार्ड संख्या 3332 8540 4795 हैं। शपथ पत्र सं. 1228 दि. 30.07.26 के अनुसार यह घोषित करता हूँ कि मेरी पुत्री हर्षिका (HARSHIKA) अब से हर्षिका कीर्ति (HARSHIKA KIRTI) के नाम से जानी व पहचानी जाएगी।

हिमांशु कुमार।

सं० 906—मैं, हिमांशु कुमार, पिता-स्व० लक्ष्मी शंकर प्रसाद, पता-आलमगंज, गोसाईं घाट लेन, गुलज़ारबाग, पटना-800007, मेरा आधार कार्ड संख्या 3332 8540 4795 हैं। शपथ पत्र सं. 1229 दि. 30.07.26 के अनुसार यह घोषित करता हूँ कि मेरा पुत्र हर्षित (HARSHIT) अब से हर्षित गौतम (HARSHIT GAUTAM) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

हिमांशु कुमार।

No. 907--I, Nishant Kumar Priyadarshi, son of Late Mohan Lal Manjhi, resident of Priyadarshi Bhawan, VIP Lane, Bhagawan Bazar Chapra, P.S-Bhagawan Bazar, District-Saran, do hereby and solemnly declared that in all my documents including aforesaid adhar card, educationl certificates, my name is mentioned as Nishant Kumar Priyadarshi. That after pursuing my PH.D (doctorate) it is necessary to add Dr. before my name, so that my name would be Dr. Nishant Kumar Priyadarshi. That from now I will be known as Dr. Nishant Kumar Priyadarshi for all future purposes. Affidavit no.-4045 Dated-30/06/2025.

Nishant Kumar Priyadarshi.

No. 908-- I, SYED MOHAMMAD IRSHAD ALAM HASHMI, S/o Md. Shamim Ahmed, residing at A-10, Hashmi Villa, Indirapuri Colony, Raja Bazar, Patna - 800014, hereby declare that my correct name is "SYED MOHAMMAD IRSHAD ALAM HASHMI." My name has been mentioned as "S.M. IRSHAD ALAM HASHMI" in all educational Certificates of my daughter. "S.M." is an abbreviation of "SYED MOHAMMAD." I declare that "S.M. IRSHAD ALAM HASHMI" and "SYED MOHAMMAD IRSHAD ALAM HASHMI" refer to one and the same person, namely myself. I am commonly known, identified and referred to by my full name "SYED MOHAMMAD IRSHAD ALAM HASHMI" for all legal purposes. Affidavit Number: 2862, Date: 12-08-2026.

SYED MOHAMMAD IRSHAD ALAM HASHMI.

No. 909—I, KALPANA KUMARI, (कल्पना कुमारी) D/o- Ajit Kumar Singh, W/o- Kundan Kumar Singh, Chakeyaj. Hajipur, Mahnar, Vaishali, Bihar 844506 do hereby solemnly affirm and declare as follows as Affidavit No. 576 Date 02.07.2026. That my name is mentioned in matriculation educational certificates KALPANA KUMARI, That my name is my Aadhar KALPANA AJIT KUMAR SINGH and pan card is written as SINGH KALPANA AJIT K. That KALPANA AJIT KUMAR SINGH SINGH KALPANA AJIT K. and KALPANA KUMARI both are same and one person. That from now I will be know as KALPANA KUMARI (कल्पना कुमारी) for all future purpose.

KALPANA KUMARI.

सं० 910—मैं, सुनील कुमार पिता सुरेश प्रसाद गुप्ता निवास साकिन—मोहल्ला—नवाब बहादुर रोड, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, पो.— झाऊगंज, थाना—खाजेकलां, जिला—पटना, पिन कोड—800008, राज्य—बिहार शपथ पत्र संख्या—2673, दिनांक 08.07.2026 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में काव्याजलि गुप्ता दर्ज है लेकिन अब मैं अपनी पुत्री का नाम काव्या गुप्ता रखा हूँ तथा मेरी पुत्री अब भविष्य में काव्या गुप्ता के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

सुनील कुमार।

No. 911--I, Vivek Ranjan, S/o Bhogendra Prasad, R/o- Village- Jhitkahiyan, Post – Madarna, Distt.- Vaishali, Bihar- 844113 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 161147 dt.- 29.04.2026 that Aahan Singh is my son. His name is written in his Aadhar Card as Baby one of Chandani Kumari which is wrong. As per Birth Certificate his correct name is Aahan Singh. Both names are same and one person. From now he will be known as Aahan Singh for all purposes.

Vivek Ranjan.

No. 912--I, Dharmendra Kumar S/o Raghwendra Narayan Singh R/o Indrukh, Halimpur Munger, Bihar-811214 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 196, dt. 01.06.2026 that Govind in my minor son. His name is written in Aadhar Card and School Id as Govind. Now he will be known as Govind Shaurya for all purposes.

Dharmendra Kumar.

No. 913--I, Anushka D/o Shri Vijay Anand Singh R/o Village-Pandarak Tola, Ahmedpur Ward No.-09, Post+P.S.-Pandarak, Distt.-Patna Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-197 dt. 01.06.26 that my name is written in my Aadhar card as Anushka. I need to change it to Anushka Anand Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Anushka Anand Singh for all purposes.

Anushka.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>